अधिशेष भण्डार
(Surplus Stores)

ऐसी मदें या भण्डार, जिसका रेल कार्य के लिए दो वर्ष की अवधि तक निर्गम (Issue) नहीं किया गया हो, अधिशेष भण्डार कहलाता है। इनमें आपाती भण्डार शामिल नहीं होते हैं।

अधिशेष भण्डार निम्न दो प्रकार का होता है –

1. चल अधिशेष (Movable Surplus)

इसमें भण्डार की वे मदें आती हैं जिनका 24 महीने से निर्गम नहीं किया गया है परन्तु जिनके निकट भविष्य में उपयोग किये जाने की प्रत्याशा है।

2. अचल अधिशेष (Dead Surplus)

इसमें भण्डार की वे मदें आती हैं जिनका पिछले 24 महीनों से निर्गम नहीं किया गया है और जिनके बारे में यह समझा गया है कि उनका किसी भी रेलवे पर अगले 2 वर्ष के भीतर उपयोग किये जाने की सम्भावना नहीं है।

किसी भी वस्तु को तब तक 'अचल अधिशेष' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे सर्वेक्षण समिति द्वारा विधिवत निरीक्षण करके ऐसी वस्तु घोषित न किया गया हो।

भण्डार के अधिशेष होने के कारण

1. डिजाइन और स्टेण्डर्ड में परिवर्तन ।
2. रोलिंग स्टॉक, प्लाण्ट और मशीनरी के रिप्लेसमेन्ट के कारण अतिरिक्त पुर्जों का अधिशेष होना।
3. पुराने मानक या कार्यविधियों के स्थान पर नई लागू करना ।
4. ऐसे प्लाण्ट को रद्द कर देना जिनके लिए अतिरिक्त पुर्जों का स्टॉक मौजूद हैं।

लौटाया गया भण्डार
(Returned Stores)

ऐसा सभी भण्डार जो पहले रेलवे की सेवा के लिए जारी किया गया था, लेकिन जिसकी अब किसी कार्य के लिए आवश्यकता नहीं रह गई है और उसके लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं है, नामित भण्डार डिपो को लौटाया जायेगा, रिटर्न स्टोर कहलाता है।

यदि किसी रेलवे पर एक से अधिक भण्डार डिपो हैं तो भण्डार नियंत्रक ऐसे डिपो या डिपुओं को नामित कर सकते हैं जिनको वर्ग विशेष का भण्डार लौटाया जाना है और इसकी सूचना रेलवे के विभिन्न विभागों को दी जायेगी। डिपो नामित करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि, डिपो रिटर्न स्टोर के पहुँचने और उसके अन्तिम रूप से निपटारे की दृष्टि से सबसे उपयुक्त है।

संज्ञापन पत्र (Advice Note)

सभी प्रकार के 'लौटाये गये भण्डार' (Returned Stores) को भण्डार डिपो में भेजने के लिए प्रपत्र सं. S-1539 में संज्ञापन पत्र (Advice Note) तैयार किया जाता है। कारखानों के द्वारा इसे 5 प्रतियों में और कारखानों के अलावा 6 प्रतियों में तैयार किया जाता है। प्रत्येक ग्रुप के लिए और नई, पुरानी, रद्दी और बेकार सामग्री के लिए अलग–अलग एडवाइस नोट तैयार किया जाता है। आम बोल–चाल की भाषा में इसे DS-8 वाउचर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भण्डार का विवरण, मात्रा, लेखाशीर्ष आदि ब्यौरा दर्शाया जाता है और यह भण्डार लौटाने वाले अधीनस्थ एवं उसके निकट अधिकारी द्वारा मय सील हस्ताक्षरित किया जाता है।